



Govt. of Bihar  
Dept. of Industries

उद्योग विभाग  
बिहार सरकार

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



Bihar State Khadi  
and Village Industries Board

# बिहार हाट

## के लिए अभिरूचि का आमंत्रण

**बिहार राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB)**, प्रतिष्ठित और अनुभवी फर्मों/कंपनी/औद्योगिक घरानों/उपकर्मों/फेडरेशन/स्वयं सेवी संस्थान/स्वयं सेवी ग्रुप/कॉपरेटिव सोसाइटी स्टार्टअप से खादी के प्रचार एवं प्रसार के लिए बिहार के नौ प्रमंडलीय शहर में बिहार हाट की स्थापना के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इस परियोजना का संचालन छोटे छोटे शेड का निर्माण एवं लीज के आधार पर उनको आवंटित कर आम सुविधा केंद्र और व्यापार वृद्धि के ध्येय को पुरा कर सकने में समर्थ हों।

### बिहार हाट के केंद्र स्थल:-

भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुर्गेर, नालंदा बिहारशरीफ, दरभंगा, गया, छपरा, सहरसा, पुर्णिया, अन्य प्रस्तावित स्थान।

**1. खादी संस्थान या फेडरेशन-** खादी या ग्राम उत्पाद संवर्धन में लगी इकाई पीपीपी मॉडल में लीज के आधार पर बिहार हाट चलाने में अपनी रूचि व्यक्त कर सकती है।

**2. अन्य भागीदारी-** स्वयं सहायता ग्रुप अथवा संस्थान, कॉपरेटिव सोसाइटी, स्टार्टअप भी पीपीआई मॉडल पर बिहार हाट के विकास और रखरखाव में अभिरूचि व्यक्त कर सकते हैं।

**3. रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल-** पीपीपी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करेगा। रेवेन्यू शेयरिंग का अनुपालन खादी बोर्ड एवं भागीदार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

**1. KVIB द्वारा 20ft X 20ft के 20 शेड ग्री-फैब्रिकेटेड स्टक्चर शेड विकसित कर रख-रखाव एवं खादी, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग के वस्तुओं के बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।**

**2. P.P Partner को KVIB द्वारा स्टक्चर तैयार कराने में लागत का विकसित 10 प्रतिशत ही भुगतान करना होगा शेष 90 प्रतिशत KVIB द्वारा ही निवेश किया जाएगा।**

**3. P.P Partner को पूर्ण तरीके से इस स्टक्चर को किराये ( मासिक या सीजन के आधार पर) में देने की छुट होगी। मासिक या सीजन किराये का 10 प्रतिशत KVIB को ट्रान्सफर करना होगा। शेष किराये यानि कुल का 90 प्रतिशत से रख-रखाव एवं मासिक अन्य खर्च का भुगतान इस्तेमाल में लेने का प्रावधान है।**

**4. अभिरूचि की अभिव्यक्ति का विस्तार अभिरूचि दिखाने वालों को बिहार हाट के विकास और रख-रखाव के लिए डिजाइन और कार्य के साथ-साथ विकास भागीदार या रनिंग पार्टनर के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, खादी बोर्ड, पटना को एक प्रस्तुति देना अनिवार्य होगा। अभिरूचि का प्रस्ताव kvibpatna@gmail.com पर दे सकते हैं।**

अभिरूचि समर्पित करने की अंतिम तिथि 20 मार्च, 2019 है।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बिना कारण बताये किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

PR No - 17607 (NI NI) D. 2018-19

सम्पूर्ण एवं आवश्यक जानकारी के लिए संपर्क करें ( सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

केवीआईवी, रोड नं 22ए, एस एन नगर, पटना 800001

**KVIBPATNA@GMAIL.COM, VISIT: WWW.KVIBBIHAR.COM**

अधेय शराव एवं मादक द्रव्य के सम्बंध में रिकार्डेट डॉलर की नं. 13003456268 का 13545 नं. कर